(Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A (3)-7/2019 dated 8th December, 2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Transport

No. TPT-A (3)-7/2019

Dated Shimla-2, the 8th December, 2020

NOTIFICATION

In supersession of this Department Notification No. TPT-A(2)2/2003-Part-I dated 11.6.2007, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), is pleased to order that there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles / scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for a period of fifteen years from the date of purchase of vehicle at the time of registration, under sub-section (3) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), at the following rates on the basis of the price of such vehicles, namely:-

Sr. No.	Description of Vehicle	Rate of Tax if purchase done within the State	Rate of Tax if purchase done outside the State
1	2 .	3	4
1	Motor Cycle/ Scooters.	Six percent (6%) of the price of the Motor Cycle/Scooter when the price does not exceed Rs. 1,00,000/	the price of the Motor
Can		Seven percent (7%) of the price of the Motor Cycle/Scooter if the price is above	the price of the Motor Cycle/Scooter if the

		Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/
2	Vehicles, Private	Six percent (6%) of the price of the vehicle when the price does not exceed Rs. 15,00,000/	the price of the vehicle
		Seven percent (7%) of the price of the vehicle when price is above Rs.15,00,000/-	the price of the vehicle

By Order,

Kamlesh Kumar Pant
Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst No TPT-A (3)-7/2019 Dated: Shimla-2, the 8th December, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.

- 2 All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 3 The LR-Cum- Pr. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- The Deputy Secretary (GAD) to the Government of H.P. w.r.t Cabinet Item No.22 dated 25.06.2020 and Item No. 2 dated 10.11.2020 for information.
- 5 The Director of Transport, Himachal Pradesh, Shimla-4.
- 6 The Managing Director, H.R.T.C, Shimla-3.
- 7 The Secretary, State Transport Authority, H. P., Shimla-4.
- 8 P.S to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 9 P.S. to Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 10 All the Deputy Commissioners, State of Himachal Pradesh.
- 11 All the SDMs (RLAs) in Himachal Pradesh.
- 12 All Regional Transport Officers of Himachal Pradesh,

13 Guard File.

(O.P. Bhandari)

Joint Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh Telephone No. 0177-2626097

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग

संख्या: टी॰पी॰टी॰- क (3)-7/2019

तारीख़ शिमला-2, 8 दिसम्बर, 2020.

अधिस्चना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी॰पी॰टी॰-क(2)2/2003-भाग-1 तारीख़ 11/06/2007 के अतिक्रमण में, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करते हैं कि राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटरसाइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज़ या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाते समय ऐसे यानों की कीमत के आधार पर यान के क्रय की तारीख़ से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित दरों से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, अर्थात:-

क्रम	यान का	कर की दर यदि क्रय राज्य के	कर की दर यदि कय राज्य मे
संख्या		भीतर किया गया है	बाहर किया गया है
1	2	3	4
1.	मोटरसाइकिल/	मोटरसाइकिल/स्कूटर की कीमत	मोटरसाइकिल/स्कूटर की
	स्कूटर ।	का छह (6%) प्रतिशत, यदि	कीमत का आठ (8%)
		कीमत एक लाख रूपए से	प्रतिशत, यदि कीमत एक लाख
		अधिक नहीं है	रूपए से अधिक नहीं है
			1
		मोटरसाइकिल/स्कूटर की कीमत	मोटरसाइकिल/स्कूटर की
		का सात (7%) प्रतिशत, यदि	कीमत का नौ (9%) प्रतिशत,
		कीमत एक लाख रूपए से	यदि कीमत एक लाख रूपए से
		अधिक है	अधिक है
2.	व्यक्तिगत	यान की कीमत का छह (6%)	यान की कीमत का आठ (8%)

मोटरयान, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज़, विनिर्माण उपस्कर यान

प्रतिशत, यदि कीमत पन्द्रह प्रतिशत, यदि कीमत पन्द्रह लाख रूपए से अधिक नहीं है | लाख रूपए से अधिक नहीं है | यान की कीमत का सात (7%) यान की कीमत का नौ (9%) प्रतिशत, यदि कीमत पन्द्रह प्रतिशत, यदि कीमत पन्द्रह लाख रूपए से अधिक है |

लाख रूपए से 'अधिक है |

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पन्त प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार | तारीख़ शिमला-2, 08-12-2020.

पृष्ठांकन संख्या: टी॰पी॰टी॰- क (3)-7/2019 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला |
- 2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
- विधि परामशीं एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला । 3.
- उप सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को मद संख्या 22, 4. मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 25.06.2020 तथा मद संख्या 2 मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 10.11.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ |
- निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-04 | 5.
- प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला-03 | 6.
- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला-04 | 7.
- निजी सचिव, म्ख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-02 | 8.
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला 02 | 9.
- समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश | 10.
- समस्त उप मण्डल मजिस्ट्रेट (पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी), हिमाचल प्रदेश | 11.
- समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश । 12.
- रक्षक नस्ति । 13.

(ओ॰प्री॰ भण्डारी) संयुक्त सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार |

दूरभाष: 0177-2626097

(Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A (3)-7/2019 dated 8th December, 2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Transport

No. TPT-A (3)-7/2019

Dated Shimla-2, the 8th December, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles / scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for every further period of five years from the date of their renewal of certificate of registration, under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), at the following rates, namely:-

Sr. No.	Description of Vehicle	Rate of Tax on renewal of certificate of registration
1	. 2	3
1	Motor Cycle/Scooters.	Six percent (6%) of the value of the Motor Cycle/Scooter when the value does not exceed Rs. 1,00,000/ Seven percent (7%) of the value of the Motor Cycle/Scooter if the value is above
2	Personal Motor Vehicles, Private Service Motor Cabs, Construction equipment vehicles.	Rs. 1,00,000/- Six percent (6%) of the value of the vehicle when the value does not exceed Rs.15,00,000/

Yerkhole

Seven percent (7%) of the value of the vehicle when value is above Rs.15,00,000/-

By Order,

Kamlesh Kumar Pant Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh

Endst No TPT-A (3)-7/2019

Shimla-2, the 8th December, 2020 Dated:

Copy for information and necessary action to:-

The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.

All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

The LR-Cum- Pr. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, 3. Shimla-2.

4. The Deputy Secretary (GAD) to the Government of H.P. w.r.t Cabinet Item No.22 dated 25.06.2020 and Item No. 2 dated 10.11.2020 for information.

5. The Director of Transport, Himachal Pradesh, Shimla-4.

6. The Managing Director, H.R.T.C, Shimla-3.

7. The Secretary, State Transport Authority, H. P., Shimla-4.

8. P.S to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.

9. P.S. to Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-2.

10. All the Deputy Commissioners, State of Himachal Pradesh.

11. All the SDMs (RLAs) in Himachal Pradesh.

12. All Regional Transport Officers of Himachal Pradesh.

13. Guard File.

(O.P. Bhandari)

Joint Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh Telephone No. 0177-2626097

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग

संख्याः टी॰पी॰टी॰- क (3)-7/2019

तारीख़ शिमला-2, 8 दिसम्बर, 2020.

<u>अधिस्चना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करते हैं कि राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटरसाइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज़ या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करवाने की तारीख़ से प्रत्येकं पांच वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिखित दरों से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, अर्थात:-

क्रम संख्या	यान का विवरण	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण पर कर की दर
1	2	3
1.	मोटरसाइकिल/ स्कूटर	मोटरसाइकिल/स्कूटर की लागत का छह (6%) प्रतिशत, यदि लागत एक लाख रूपए से अधिक नहीं है मोटरसाइकिल/स्कूटर की लागत का सात (7%) प्रतिशत, यदि लागत एक लाख रूपए से अधिक है
	व्यक्तिगत मोटरयान, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज़, विनिर्माण उपस्कर यान	यान की लागत का छह (6%) प्रतिशत, यदि लागत पन्द्रह लाख रूपए से अधिक नहीं है यान की लागत का सात (7%) प्रतिशत, यदि लागत

आदेश द्वारा, कमलेश कुमार पन्त प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार | तारीख़ शिमला-2, 08-12-2020.

पृष्ठांकन संख्याः टी॰पी॰टी॰- क (3)-7/2019 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला |
- 2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
- 3. विधि परामशीं एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला |
- 4. उप सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को मद संख्या 22, मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 25.06.2020 तथा मद संख्या 2 मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 10.11.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
- 5. निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-04 |
- 6. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला-03 |
- 7. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला-04 |
- 8. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमांचल प्रदेश, शिमला-02 |
- 9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला 02 |
- 10. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश |
- 11. समस्त उप मण्डल मजिस्ट्रेट (पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी), हिमाचल प्रदेश |
- 12. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश |
- 13. रक्षक नस्ति |

(ओ॰पी॰ भण्डारी)

संयुक्त सचिव (परिवहन)

हिमाचल प्रदेश सरकार |

दूरभाष: 0177-2626097